प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.03.24

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.07.23 को वादी श्री साबिर खान पुत्र स्व0 हबीब खान निवासी - मकान न0-ए153 ,गली न0-733 फूटा, ईदगाह रोड, भागीरथी विहार, फेस 1 मुस्तफावाद ,उत्तर पूर्वी दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त मोहम्मद जब्बार और मौ0 असलम द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कभी एग्रीमेन्ट में खुद क्रेता व कभी विक्रेता बनकर एक राय होकर षडयन्त्र के तहत धोखाधडी करके आवेदक व आवेदक के लडके मौ0 अनस और भाई साजिद मौहम्मद के साथ अलग-अलग स्थानों की जमीनों/फ्लेटो/मकानों के झूठे एग्रीमेन्ट तैयार किये गये तथा कूटरचित कागजात तैयार कर विश्वासघात करके अभियुक्तों द्वारा वादी से कुल 8 एग्रीमैन्ट व 01 कूटरचित बैनामा अलग-अलग दिनांक में अलग अलग सम्पत्ति को दिखाकर झूठें एग्रीमैन्ट कर वादी से कुल 1,25,00,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये) प्राप्त किये। वादी द्वारा अपने रूपये वापस मांगने पर प्रतिवादीयों द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में पतारसी सुरागरसी व तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान अभियुक्त 1.मौहम्मद जब्बार पुत्र नफेद्दीन निवासी म0न0-223 गली न0-22 नियर इलाही मस्जिद राजीव गांधी नगर नई दिल्ली मुस्तफावाद शाहरदा दयालपुर थाना दयालपुर दिल्ली एवं 2.मौ0 असलम पुत्र जहीर अब्बास निवासी म0न0 -456 गली न0-3 कुवा मजिस्द नेहरू विहार थाना दयालपुर दिल्ली हाल पता – म0न0 B/117 खसरा न0-154 शंकर विहार थाना अंकुर विहार गा0वाद को दिनांक 17.03.2024 को कृष्णा चौक डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. मोहम्मद जब्बार पुत्र नफेद्दीन निवासी म0न0-223 गली न0-22 नियर इलाही मस्जिद राजीव गांधी नगर नई दिल्ली मुस्तफावाद शाहरदा दयालपुर थाना दयालपुर दिल्ली उम्र-55 वर्ष
2. मौ0 असलम पुत्र जहीर अब्बास निवासी म0न0 -456 गली न0-3 कुवा मजिस्द नेहरू विहार थाना दयालपुर दिल्ली हाल पता–म0न0 B/117 खसरा न0-154 शंकर विहार थाना अंकुर विहार गा0वाद उम्र-37 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 25000/- रु0 का इनामी 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.03.2024 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 25000/- रु0 का इनामी 01 अभियुक्त सोनू यादव पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम कर्णपुरी थाना जैतपुर आगरा हाल निवासी एच 402 एबीजे हाईट्स सोसाईटी थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर उम्र 34 वर्ष को एबीजे हाईट्स सोसाईटी के गेट न0 01 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट ,स्नैचिंग जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करता है। जिससे आमजन में भय व्याप्त होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सोनू यादव पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम कर्णपुरी थाना जैतपुर आगरा हाल निवासी एच 402 एबीजे हाईटस सोसाईटी थाना सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर उम्र 34 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू यादव पुत्र भगवान दास के विरुध्द थाना इन्दिरापुरम पर लूट के 03 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे व स्मैक की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा, 95 ग्राम स्मैक एवं 4500/- रूपये बरामद।

दिनांक 16.03.2024 को थाना विजयनगर क्षेत्र मे मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध वाहन /व्यक्ति चेकिंग के दौरान थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों 1. अश्वनी 2. रोहित उर्फ गोलू को सुन्दरपुरी की तरफ आर्मी ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्ज़े से 2 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा व 95 ग्राम स्मैक एवं 4500/- रूपये बिक्री के बरामद हुये व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हम गांजा व स्मैक खरीद कर उसे छोटी छोटी पुडियों में पैक कर रेलवे स्टेशन व आर्मी ग्राउण्ड में चलते फिरते नशा करने वाले व्यक्तियों को बेच देते है तथा जो पैसा मिलता है उसे हम बांट लेते है तथा उससे अपने शौक पूरे करते है। आज भी हम अपना माल बेचने के लिये इधर उधर घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये

गये। गिरफ्तार अभियुक्तों से गांजा व स्मैक कहां से लाते हो पूछा तो बताया कि साहब हमें माल हर बार कोई नया व्यक्ति देता है। जिसे हम नही जानते हैं।

नाम पता अभियुक्त

1. अश्वनी पुत्र स्व0 दर्शन निवासी जी – 146 सैक्टर – 09 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।
2. रोहित उर्फ गोलू पुत्र स्व0 दर्शन निवासी जी – 146 सैक्टर – 09 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त **अश्वनी** उपरोक्त पर - 03 अभियोग लूट/बरामदगी के , 04 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के, 01 अभियोग आर्म्स एक्ट, 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट , कुल 09 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

2. अभियुक्त **रोहित उर्फ गोलू** उपरोक्त पर - 03 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के, 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट , कुल 04 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

-2 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा

-95 ग्राम स्मैक बरामद

-4500/- रूपये माल बिक्री के बरामद

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।